यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडीयाल, ले.प. एवं श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 18.12.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन, नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.03.2018 से 20.03.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कोटद्वार, सतपुली, लैंसडाऊन, एमकेश्वर, आदि**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2288.84
2016-17	4227.45
2017-18	1940.85

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	15144000	12680161	-	-
2016-17	-	-	-	-	19707000	13889068	-	-
2017-18	-	-	-	-	18768000	16904545	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर1- कर न्यूनारोपण ₹ 3.37 करोड़।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की की धारा 4 की उपधारा (2) (ख)(i) (ई) के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर कोटद्वार ,के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कोटद्वार टिन 05002781112 इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के निर्माण व बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में ₹ 396919895/- का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बिना प्रपत्र "सी" के सापेक्ष अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 5% की दर से कर अदा किया गया था, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख)(i) (ई) के अनुसार 13.5% की दर से कर देयता है। इस प्रकार ₹ 396919895/- की बिक्री पर अंतरीय कर 8.5% (13.5-5) की दर से ₹ 33738191/- कर कम आरोपित किया गया था। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा कम्यूनिकेशन इकवपमेंट की बिक्री की जाती है। जिस पर 5% की दर से करदेयता है। गत वर्ष भी टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण की बिक्री पर 5% की दर से कर आरोपित किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कम्पनी का प्रारम्भ इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के निर्माण व बिक्री हेतु किया गया था। तथा व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी में भी इलेक्ट्रॉनिक गूड्स की बिक्री दर्शायी गयी थी। तथापि विभाग भी
टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण का निर्माण व बिक्री का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

अत: कर का न्यूनारोपण ₹ 3.37 करोड़ का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 मिथ्या प्रमाण पत्र देने के परिणामस्वरूप कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 48.53 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे सम्व्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे समव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता। इसी अधिनियम की धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार कोई झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अंतर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की 3 गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, कोटद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ओरिजिन फार्मूलेशन टिन 05012997249 दवाइयों के निर्माण व बिक्री हेतु पंजीकृत है व्यापारी मान्यता प्रमाण पत्र धारक है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 के लिये रियायती दर से प्रांतीय खरीद के सापेक्ष प्रपत्र-XI निर्गत किए गए थे। व्यापारी द्वारा ₹ 7949873/- की 13.5% एवं ₹ 1803960/- की 5% कर की दर की निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद के सापेक्ष प्रपत्र-XI निर्गत किए गए जो व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है।

क्रम संख्या	वस्तुओं का नाम	क्रय मूल्य	कर की दर	कर की राशि
01.	G I Sheet & static Part box	2003960	5%	100198
02.	Thermic fluid oil,Insulation Foam,AHU, Housing, COLOUR&FlavourTalcom powder SORBITOL 70% Double Skin AHU, DUCTING,Stereo etc	7749873	13.5%	1046233
	योग	**9753833**		**1146431**

इसलिए उक्त धारा 63 के अनुसार ₹ 7749873/- की 13.5% से कर ₹ 1046233/- एवं ₹ 2003960/- की 5% से कर ₹ 100198/- देय था। जबकि व्यापारी द्वारा ₹ 9753833/- की खरीद पर 2% की दर से ₹195076/- कर अदा किया गया था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 951355/- (1046233 + 100198-195076) कर कम अदा किया गया था। जो व्यापारी द्वारा अदा किया जाना अपेक्षित है तथा धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार माल के मूल्य ₹ 9753833/- का 40% प्रतिशत की दर से ₹ 3901533/- अर्थदण्ड आरोपणीय था। जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार व्यापारी से ₹ 4852888/- (951355+3901533) लिया जाना अपेक्षित है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा प्रपत्र IX से जो खरीद की गयी थी वह व्यापारी का रॉ मेटेरियल,पेकिंग मेटेरियल एवं प्लान्ट एण्ड मशीनरी से संबन्धित है, जिनका स्पष्ट उल्लेख मान्यता प्रमाण पत्र में है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रपत्र - IX से जो खरीद की गयी है उनका स्पष्ट उल्लेख व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र में नहीं है।

अत: उक्त ₹ 48.53 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-3 कर का अनारोपण ₹ 5.49 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर कोटद्वार ,के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कोटद्वार टिन 05002781112 इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के निर्माण व विक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में तुलनपत्र के अनुसार ₹ 193179/- की प्लान्ट & मशीनरी एवं ₹ 3876415/- का इलेक्ट्रोनिक इकयूपमेंट की विक्री की गयी थी। जिस पर व्यापारी द्वारा कोई कर अदा नहीं किया गया था। इसकी बिक्री ₹ 4069594/- (193179+3876415) पर 13.5% की दर से ₹ 549395/- कर आरोपणीय था। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बैलेंसशीट की जांचकर अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अत: कर का अनारोपण ₹ 5.49 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.94 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, कोटद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री तुलाराम जगदीश चन्द टिन 05002911965 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में 9 फॉर्म-सी निर्गत किए गए थे। जिसमें 8 फार्म सी ₹ 1247441/- की आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद के लिए निर्गत किए गए थे। यह वस्तु व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं पायी गयी। इसलिए उपरोक्त धारा के अंतर्गत 5% की दर से कर ₹ 62372/- का 1.5 गुना ₹ 93558/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही/ अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: कर का न्यूनारोपण ₹ 0.94 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर04- कर का अनारोपण ₹ 0.67 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, कोटद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री तुलाराम जगदीश चन्द टिन 05002911965 द्वारा कर निर्धारण वर्ष- 2015-16 में व्यापारी द्वारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एवं लॉस एकाउन्ट में ₹1330203/- स्कीम से लाभ दिखाया गया था, जिसके साक्ष्य हेतु क्रेडिट नोट्स पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस धनराशि को बिक्री से लाभ/भाग मानते हुए 5% की दर से ₹ 66510/- कर आरोपणीय था। जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही/ अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: कर का न्यूनारोपण ₹ 0.67 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 02-ब

प्रस्तर 5- जी०पी०एफ० पासबुक/लेजर का अनियमित लेखांकन ₹24760/-

सामान्य भविष्य निधि नियमावली से संबन्धित शासन द्वारा जारी विज्ञाप्ति सं. 4-1890/10/502/85 दिनांक 29.10.85 यथासंशोधित विज्ञप्ति सं. 4-642/10/97-50/85 दिनांक 29.09.97 के अनुसार लेजर, ब्राडशीट एवं पासबुक पंजिका में भविष्य निधि से संबन्धित होने वाली कटौती का लेखांकन करते समय लेजर में प्रत्येक कर्मचारी के नाम एक पृष्ट आंवटित करते हुये उसमे संबन्धित वर्ष के प्रत्येक मास के उसके वेतन आदि से कटौती,पूर्व में लिए गए आग्रिम की वापसी व संबन्धित माह के लिए गए आग्रिम की धनराशि अंकित करते हुये माह का अंतिम अवशेष निकाला जाता है। वर्ष के अंत में सभी माह के अंतिम अवशेषों का योग कर उसे 12 से विभाजित कर औसत अवशेष निकाला जाता है। इस औसत अवशेष पर संबन्धित वर्ष हेतु निर्धारित दर से ब्याज आंगणित किया जाता है।

कार्यालय उपायुक्त (क०नि०) राज्य कर कोटद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की जी०पी०एफ० पासबुक की जांच में निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी-

श्री भाग सिंह, अनुसेवक के वर्ष 2017-18 कि जी०पी०एफ० पासबुक में भविष्य निधि कुल कटौती में (₹109514 - ₹ 85682) = ₹ 23832/- अधिक दिखाया गया है, जो नियमानुसार नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार उपरोक्त वर्ष का ब्याज (₹ 42603 - ₹ 41675) = ₹ 928/- का अधिक ब्याज दिया गया।

अत: कुल ₹₹ 24760 = (₹ 23832 + ₹ 928) की गणना त्रुटि पूर्ण की गयी है। (अनुलग्नक -1 संलग्न)

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभागीय उत्तर में बताया गया कि संबन्धित प्रकरण की जांच कर आपत्ति का निराकरण करते हुये अवगत कर दिया जायेगा।

अत प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। :

GENERAL PROVIDENT FUND				श्री भाग सिंह , सेवक		अनुलग्नक-I	
		2017-18					
S.NO.	**MONTHS**	**SUBSCRIPTION**	**RECVORY**	**TOTAL**	**WITHDRAWAL**	**OPE BAL**	
1	APRIL	3100	400	3500	0	491133	
2	MAY	3100	4000	7100	0		
3	JUNE	5540	4000	9540	0		
4	JULY	3100	4000	7100	0		
5	AUGUST	3100	4000	7100	0		
6	SEPTEMBER	3200	4000	7200	0		
7	OCTOBER	3200	4000	7200	0		
8	NOVEMBER	4142	4000	8142	0		
9	DECEMBET	3200	4000	7200	0		
10	JANUARY	3200	4000	7200	0		
11	FEBARUARY	3200	4000	7200	0		
12	MARCH	3200	4000	7200	0		
		41282	**44400**	**85682**	**0**		
			OPENING BALANCE		**491133**		
			DEPOSIT DURING YEAR		**85682**		
			INTEREST		**41675.51808**		
			TOTAL		**618490.5181**		
			ADV		**0**		
			NET BAL		**618490.5181**		

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-25/2004-05	01	-	
CT-47/2005-06	01	-	
CT-18/2014-15	-	01,02,03	
CT-23/2015-16	-	01,02	
CT-15/2016-17	-	01,02	
CT-164/2017-18	-	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री धर्मेन्द्र राज	उपायुक्त राज्य कर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, कोट्द्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र